

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 367/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

### सुआ देवी बनाम डूंगराराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

प्रार्थनी वकील – श्री पवन धारीवाल

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय

दिनांक – 26.03.2021

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत सरहद मौजा अली की बस्ती में खेत खसरा सं. 112 रकबा 23.07 बीघा एवं खसरा सं. 132 रकबा 08.18 बीघा, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थनी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थनी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थनी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थनी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। आवेदन में वर्णित खसरा की पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थनी ने उपरोक्त खसरों की सीमाज्ञान/पैमाईश की मौका फर्द पेश की। प्रार्थनी वकील की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थनी के वक्त काशत प्रार्थनी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थनी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थनी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा अली की बस्ती में खेत खसरा सं. 112 रकबा 23.07 बीघा एवं खसरा सं. 132 रकबा 08.18 बीघा, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से एवं किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थनी मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थनी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में किये एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन  
उपखण्ड आगिकाजी  
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 232

दिनांक 26/03/2024

प्रार्थनी :-

1.सुआदेवी पत्नि बाबूराम जाति जाट  
निवासी अली की बस्ती  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.डूंगरा पुत्र ठाकरा, जाति मेगवाल  
निवासी बूठ राठौड़ान 2.सुमरा पुत्र पीथा  
3.जलाल पुत्र बालू जाति मेगवाल  
निवासी अली की बस्ती  
4.जुमा 5.जुसब पि.भीखा, 6.इसा पुत्र मोहमद  
जातियान तेली निवासी अली की बस्ती  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 367/2018

दिनांक : 26.03.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. 112 रकबा 23.07 बीघा, खसरा सं. 132 रकबा 08.18 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 233 + 236

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थनी सुआ देवी
3. विप्रार्थीगण डूंगरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 26/03/2024

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन